प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>युगल पीठ : माननीय श्री डॉ. आई. एम. क्यूदूसि न्यायाधीश</u>

<u>माननीय श्री एम आर. जी. मिन्हाजूद्दीन न्यायाधीश</u>

<u>रिट याचिका संख्या 1827 सन् 2004</u>

याचिकाकर्तागण पवन कुमार अग्रवाल और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश हेतु विचारार्थ

सही/-

श्री जी. मिन्हाजूद्दीन

न्यायाधीश

01.05.2012

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय श्री डॉ. आई. एम. क्यूदूसि न्यायाधीश</u>

मैं सहमत हूं।

सही/-

श्री डॉ. आई. एम. क्यूदूसि

न्यायाधीश

01.05.2012

<u>आदेश हेतु दिनांक 2 मई 2012 को सूचिबध्द करें।</u>

सही/-

श्री जी. मिन्हाजूद्दीन

न्यायाधीश

01.05.2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री डॉ. आई. एम. क्यूदूसि न्यायाधीश

माननीय श्री एम आर. जी. मिन्हाजूद्दीन न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 1827 सन् 2004

याचिकाकर्तागण — पवन कुमार अग्रवाल और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थित :

अधिवक्ता श्री देवेश जी. केला अधिवक्ता याचिकाकर्तागण की ओर से ।

अधिवक्ता श्री विनय हरित उप महाधिवक्ता राज्य/ उत्तरवादी क्र.1 की ओर से ।

श्री घनश्याम पटेल अधिवक्ता उत्तरवादी क्रं. 2 की ओर से ।

श्री आशीष श्रीवास्तव सहित श्री अमित वर्मा अधिवक्तागण उत्तरवादी क्रं. 3 की ओर से ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 2 मई 2012 को पारित किया गया)

न्यायधीश जी. मिन्हाजुद्दीन के अनुसार

01. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 का व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर उत्तरवादी संख्या 1 से 3 द्वारा किए गए चयन एवं नियुक्ति की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती देते हुए दायर की गई है, इस आधार पर कि महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के शासी सिद्धांतों को अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के आरक्षण की गणना में सही ढंग से लागू नहीं किया गया है, जिससे याचिकर्तागणों को उक्त पद पर नियुक्त होने से गलत तरीके से वंचित कर दिया गया है, इस बात के बावजूद कि उन्होंने उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 से अधिक अंक

प्राप्त किए हैं, जिन्हें 30% आरक्षण से अधिक होने पर भी उक्त पद पर नियुक्त किया गया है।

02. याचिका में प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी संख्या 2/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2003/परीक्षा दिनांक 2.4.2003, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के कुल 30 पद की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, के अनुसरण में, याचिकाकर्तागण जो व्यवसायरत अधिवक्ता हैं, ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए, परीक्षा एवं साक्षात्कार में भाग लिया। इसके पश्चात, अंतिम चयन सूची तैयार करते समय, याचिकाकर्तागण, जिन्होंने क्रमशः कुल 127 और 125 अंक प्राप्त किए, को पूरक चयन सूची/प्रतीक्षा सूची में रखा गया। उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 के चयन एवं नियुक्ति की वैधता एवं विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उनका चयन महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अधीनस्थ न्यायिक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम, 1994 (इसके बाद "नियम, 1994" कहा जाएगा) के नियम 6-क और संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत निर्धारित कोटे से अधिक किया गया है। उत्तरवादी संख्या 2/सीजीपीएससी ने नियम, 1994 के नियम 6-क के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण के अर्थ एवं प्रभाव की गलत व्याख्या करते हुए, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए, उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के पद पर नियमों द्वारा निर्धारित 30% क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण कोटे से अधिक होने पर भी अनारक्षित वर्ग में नियुक्त किया है। महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक (ऊर्ध्वाधर) आरक्षण नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत एक विशेष आरक्षण है और इस प्रकार, जब महिला उम्मीदवारों की संख्या, जिन्होंने खुली प्रतियोगिता (संक्षेप में "ओसी") वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में अपना स्थान पाया है, 30% का कोटा पूरा कर देती है, तो उस स्थिति में, महिलाओं के पक्ष में और कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता। हालाँकि, वर्तमान मामले में, उत्तरवादी संख्या 2 ने महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण को इस तरह लागू किया है, जिसका प्रभाव अनारक्षित वर्ग (ओसी वर्ग) में महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 30% से अधिक आरक्षण करने का है और इस कारण से, यह मनमाना, अतार्किक और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ नियम, 1994 के नियम 6-क और संविधान के अनुच्छेद 15(3) का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. उत्तरवादी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाबदावा दायर किए हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(3) और नियम, 1994 के नियम 6-क द्वारा प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण को अनारक्षित वर्ग में 30% महिला आरक्षण की गणना में सही ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने यह भी अभिकथन किया है कि नियम, 1994 के नियम 6-क के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण क्षैतिज एवं वर्गवार होगा, जिसका अर्थ स्पष्टीकरण के अनुसार यह है कि 30% आरक्षण प्रत्येक श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए होगा। उत्तरवादी संख्या 1 से 3 के अनुसार, चूंकि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 30% कोटा अनारक्षित वर्ग में प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए, उत तरवादी संख्या 4 एवं 5, जो अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, को महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत चयनित किया गया और चयन सूची में रखा गया, जो संविधान और नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप है। उन्होंने यह भी अभिकथन किया है कि अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित दो महिला उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची में स्थान प्राप्त किया था, को अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 30% कोटे के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 ने अपना संयुक्त जवाबदावा दायर किया है और उत्तरवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाबदावा में किए गए अभिकथनों का समर्थन किया है।

05. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्के सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया ।

06. इस याचिका में निर्णित किए जाने वाला मूल प्रश्न यह है कि क्या अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की गणना में, संविधान के अनुच्छेद 15(3) और नियम, 1994 के प्रावधानों का उचित रूप से पालन किया गया है या नहीं?

07. आगे बढ़ने से पहले, संविधान के अनुच्छेद 15(3) और नियम, 1994 के नियम 6-क को उद्धृत करना आवश्यक है, जिसे अधिसूचना संख्या 5412/21-बी/छ/2002 दिनांक 12.8.2002 द्वारा संशोधन के माध्यम से उक्त नियमों में समाविष्ट किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16.8.2002 में प्रकाशित हुआ था, और जो इस प्रकार है:

संविधान का अनुच्छेद 15(3):
"15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। — (1) xxxx xxxx xxxx
(2) xxxx xxxx xxxx
(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी।"

नियम, 1994 का नियम 6-क:
"6-क. महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण। — अधीनस्थ न्यायिक सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में उनकी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में सभी पदों के तीस प्रतिशत आरक्षित होंगे और वह आरक्षण क्षैतिज और वर्गवार होगा। स्पष्टीकरण — इस नियम के प्रयोजन के लिए "क्षैतिज और वर्गवार" का अर्थ प्रत्येक श्रेणी, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित में आरक्षण है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. यह निर्विवाद नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक आरक्षण एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, और शारीरिक रूप से अक्षम और महिलाओं के लिए क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 15(3) के तहत विशेष आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण है। याचिकर्तागणों की अंकसूचियों जो उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए और क्रमशः अनुलग्नक पी/6 और पी/7 के रूप में संलग्न किए गए हैं, भी विवादित नहीं हैं। इसके अलावा, योग्यता क्रम में संयुक्त चयन सूची जो उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा अनुलग्नक आर-2/3 के रूप में दायर की गई है, भी विवादित नहीं है, जिसके अनुसार याचिकाकर्तागण, जिन्होंने क्रमशः 127 और 125 अंक प्राप्त किए, वे उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5, जिन्होंने क्रमशः 124.5 और 123 अंक प्राप्त किए, से योग्यता क्रम में ऊपर थे। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि अनारक्षित वर्ग के लिए पदों की संख्या 16 थी, जिनमें से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। योग्यता क्रम में चयन सूची (अनुलग्नक

आर-2/3) से पता चलता है कि याचिकर्तागणों के ठीक ऊपर, क्रम संख्या 2, 6, 9, 10 और 15 पर पाँच महिला उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है। यह भी विवादित नहीं है कि अनुसूचित जाति श्रेणी की दो महिला उम्मीदवार अर्थात संघ पुष्पा भतपहरी और रंजू राउतराई, जो क्रमशः क्रम संख्या 2 और 6 पर थीं, ने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची में अपना स्थान प्राप्त किया। याचिकर्तागणों के अनुसार, अनारक्षित वर्ग की अंतिम चयन सूची तैयार करते समय, उत्तरवादी संख्या 2 ने वर्तमान मामले में महिलाओं के लिए क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण के मामले में ऊर्ध्वाधर आरक्षण को शाबीत करने वाले सिद्धांतों को गलत ढंग से लागू किया है। जबकि उत्तरवादीयों के अनुसार, नियम, 1994 और संविधान के अनुच्छेद 15(3) में प्रदत्त क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण को अंतिम चयन सूची तैयार करते समय सही ढंग से लागू किया गया है।

09. ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति के बीच अंतर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राजेश कुमार डारिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य, (2007) 8 एससीसी 785*** के मामले में समझाया है, जिसमें कंडिका-9 में यह अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "दूसरा, ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति के बीच अंतर से संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सामाजिक आरक्षण 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' हैं। अनुच्छेद 16(1) या 15(3) के तहत शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं, आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण 'क्षैतिज आरक्षण' हैं। जहाँ किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में अनुच्छेद 16(4) के तहत कोई ऊर्ध्वाधर आरक्षण किया जाता है, वहाँ ऐसे पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार, गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या संबंधित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के

विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी। इसलिए, यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता से खुली प्रतियोगिता की रिक्तियों में चयनित हो जाते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे भी अधिक हो जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भर गया है। संपूर्ण आरक्षण कोटा उन लोगों के अतिरिक्त बरकरार और उपलब्ध रहेगा जो खुली प्रतियोगिता श्रेणी के अंतर्गत चयनित होते हैं। (देखें: इंद्रा साहनी, आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य, भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान और रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई.एल. यामुल।) लेकिन ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण पर लागू होने वाला उपर्युक्त सिद्धांत क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होगा। जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है, वहाँ उचित प्रक्रिया यह है कि पहले अनुसूचित जातियों के कोटे को योग्यता क्रम में भरा जाए और फिर उनमें से उन उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाया जाए जो 'अनुसूचित जाति महिलाओं' के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे की ओर आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल यदि कोई कमी है, तो अनुसूचित जाति महिलाओं की आवश्यक संख्या को अनुसूचित जातियों से संबंधित सूची के नीचे से समान संख्या में उम्मीदवारों को हटाकर लिया जाना होगा। इस सीमा तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से भिन्न है। इस प्रकार, ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चयनित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध गिना जाएगा।" (बल दिया गया)

10. उपर्युक्त निर्णय में राजेश कुमार डारिया (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित विधि के सिद्धांतों को बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल बनाम ममता बिष्ट और अन्य, (2010) 12 एससीसी 204 के मामले में दोहराया है।

11. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दिनांक 2.4.2003 के विज्ञापन में, जिसके माध्यम से व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-II के पद की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, केवल दो श्रेणियाँ अर्थात आरक्षित और अनारक्षित का उल्लेख किया गया है, और विज्ञापन में "अनारक्षित" नाम से कोई श्रेणी नहीं है। यह भी सत्य है कि नियम, 1994 के नियम 6-क के स्पष्टीकरण में, "क्षैतिज और वर्गवार" आरक्षण शब्द के अर्थ को यह समझाया गया है कि "क्षैतिज और वर्गवार" का अर्थ प्रत्येक श्रेणी, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित में आरक्षण है। हालाँकि, "अनारक्षित" नाम से कोई श्रेणी नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राजेश कुमार डारिया (उपर्युक्त) और ममता बिष्ट और अन्य (उपर्युक्त) में उपर्युक्त निर्णयों से स्पष्ट है, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "अनारक्षित वर्ग" को "खुली प्रतियोगिता (ओसी) श्रेणी" के रूप में संदर्भित किया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार, अनारक्षित प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के परिपत्र/आदेश संख्या एफ. 7 -9 / 99 / आ. प्र./ एक. भेपाल, दिनांक 12 मई, 1999 (अनुलग्नक पी/11) में, जिसे बाद में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अनुकूलित किया गया है, विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भर्ती के विज्ञापनों में और आधिकारिक कार्य में, "अनारक्षित वर्ग" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसके बजाय केवल "अनारक्षित" शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि "अनारक्षित" नाम से कोई श्रेणी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. याचिकर्तागणों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि अनारक्षित वर्ग में, महिलाएं अपने आप में एक वर्ग बनाती हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी अन्य श्रेणी से संबंधित हैं या नहीं; इसके विपरीत, उत्तरवादीयों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि नियम,

1994 के नियम 6-क के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ तक अनारक्षित वर्ग का संबंध है, 30% क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण केवल अनारक्षित वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए है अर्थात आरक्षित वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग के लिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि केवल अनारक्षित वर्ग की चयन सूची में योग्यता के आधार पर स्थान प्राप्त करके, आरक्षित वर्ग से संबंधित किसी भी महिला को अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 30% कोटे के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता और इसलिए, अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित दो महिलाएं, जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की चयन सूची में क्रम संख्या 2 और 6 पर स्थान प्राप्त किया, को अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 5 पदों के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता।

13. हालाँकि, उत्तरवादीयों के विद्वान अधिवक्ताओं का यह तर्क इस तथ्य के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल दो श्रेणियाँ हैं अर्थात आरक्षित और अनारक्षित या खुली प्रतियोगिता श्रेणी। इस प्रकार, अनारक्षित वर्ग में महिलाएं अपने आप में एक वर्ग बनाती हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आरक्षित वर्ग के अलावा किसी अन्य श्रेणी से संबंधित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजेश कुमार डारिया (उपर्युक्त) के मामले में अपने निर्णय के कंडिका-9 में अभिनिर्धारित किया है कि "ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चयनित महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध गिना जाएगा।" वर्तमान मामला भी अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण से संबंधित है। चूंकि अनारक्षित वर्ग में महिलाएं अपने आप में एक वर्ग बनाती हैं, इसलिए, अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाएं अर्थात संघ पुष्पा भतपहरी और रंजू राउतराय, जिन्होंने सामान्य उम्मीदवारों की चयन सूची में क्रमशः क्रम संख्या 2 और 6 पर स्थान प्राप्त किया, को तथाकथित अनारक्षित वर्ग अर्थात अनारक्षित या खुली प्रतियोगिता श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित 5 पदों के विरुद्ध गिना जाना होगा। इस प्रकार, श्रद्धा शुक्ला द्वारा अनारक्षित वर्ग की चयन सूची में क्रम संख्या 15 पर स्थान प्राप्त करने के बाद, सामान्य या सामान्य / ओसी श्रेणी की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण प्राप्त हो गया और 30% आरक्षण प्राप्त होने के बाद उत तरवादी संख्या 4 एवं 5 को और आरक्षण का लाभ देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा करके, उत्तरवादी संख्या 2 ने निश्चित रूप से एक गंभीर त्रुटि की है और इस प्रकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकर्तागणों को, जिन्होंने स्वीकार्य रूप से उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 से अधिक अंक प्राप्त किए थे और उनसे ऊपर थे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के पद पर चयनित होने से गलत तरीके से वंचित कर दिया है।

14. अब, प्रश्न उठता है कि क्या उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 का चयन इस स्तर पर अपास्त किया जाना चाहिए, और वर्तमान परिदृश्य में याचिकर्तागणों को क्या राहत दी जा सकती है?

15. चयन प्रक्रिया पूरी होने पर, उम्मीदवारों को वर्ष 2004 में नियुक्त किया गया और वे सात वर्ष से अधिक समय से न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। वर्ष 2006, 2008 और 2011 में बाद के चयन एवं नियुक्तियाँ भी हुई हैं। उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 पिछले सात वर्ष से अधिक समय से न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। ऐसी स्थिति में, हमारा मत है कि उनकी कोई गलती न होते हुए भी, इस स्तर पर उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 के चयन एवं नियुक्ति को अपास्त करना उचित नहीं होगा। साथ ही, यह नकारा नहीं जा सकता कि याचिकाकर्तागण, जो चयनित होने के हकदार थे और उन्हें चयन सूची में कु. श्रद्धा शुक्ला के ठीक नीचे और उत्तरवादी संख्या 4 एवं 5 के ऊपर रखा जाना चाहिए था, को उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा क्षैतिज एवं वर्गवार आरक्षण की गलत व्याख्या के कारण व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के पद पर नियुक्त होने के अपने अधिकार से गलत तरीके से वंचित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस प्रकार, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम इसे उचित समझते हैं कि उत्तरवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकर्तागणों को, पुलिस सत्यापन आदि जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन, व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त करे। हालाँकि, याचिकर्तागणों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी।

17. उपर्युक्त अवलोकनों के साथ, याचिका, तदनुसार, स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

श्री डॉ. आई. एम. क्यूदूसि

न्यायाधीश

02.05.2012

सही/-

श्री जी. मिन्हाजूद्दीन

न्यायाधीश

02.05.2012

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Yashpal Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur